राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6380/2015

शमा परवीन, उम्र लगभग 35 वर्ष, पुत्री श्री काजी करीम बक्स, निवासी "नूरी मंजिल", I-319, बापू नगर भीलवाड़ा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, जरिये सचिव, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री त्रिभुवन गुप्ता।
प्रतिवादीगण के लिए : श्री दिग्विजय सिंह,
श्री कमलेश शर्मा, उप.जी.सी. की ओर से

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा
आदेश (मौखिक)

03/01/2025

1. यहां चुनौती दिनांक 11.06.2014 (अनुलग्नक पी/6) के आदेश को दी गई है, जिसके तहत दिनांक 17.02.2012 (अनुलग्नक पी/2) के विज्ञापन के अनुसार प्रधानाध्यापक के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि उसके पास अपेक्षित अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है।

2. अनावश्यक विवरण को छोड़कर, याचिका दायर करने से संबंधित संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

2.1. याचिकाकर्ता के पास बीएससी और बीएड की डिग्री है, जो राज्य सरकार की सेवाओं के तहत शिक्षक/प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक मूलभूत अर्हताएं हैं।

2.2 इन योग्यताओं के आधार पर, याचिकाकर्ता को राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंतर्गत एक मदरसे में शिक्षा सहयोगी के पद पर नियुक्त किया गया, जहाँ उसने 21.02.2003 से 19.09.2012 (8 वर्ष 9 माह) तक कार्य किया। इस अवधि के पश्चात, याचिकाकर्ता को 20.09.2012 को राज्य सरकार की सेवाओं के अंतर्गत विज्ञान विषय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया।

2.3 राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए 1970 के नियम प्रख्यापित किए। ये नियम पूरी भर्ती प्रक्रिया का विवरण देते हैं। नियम 16 राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से शिक्षा पदों पर सीधी भर्ती को अनिवार्य करता है। नियम 11 शैक्षणिक योग्यता परिभाषित करता है और नियम 18 आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। भर्ती प्रक्रिया के पश्चात् नियम 20 यह उपबंध करता है कि आरपीएससी मेरिट सूची तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। नियम 22 के तहत, इस सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन नियुक्ति के लिए किया जाता है।

2.4 नियम 18 के अनुरूप आरपीएससी ने 17.02.2012 को एक विज्ञापन जारी कर शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

2.5 विज्ञापन के खंड 6 में आवश्यक योग्यताएँ बताई गई थीं; स्नातक डिग्री के साथ शिक्षण योग्यता (शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा) और पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव। यह नियम 11 के अनुरूप है, जो सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव निर्दिष्ट करता है। अनुसूची के समूह 'च' में शामिल प्रधानाध्यापक के पद के लिए पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है, जैसा कि 27.06.2011 की अधिसूचना में संशोधित किया गया है।

2.6 याचिकाकर्ता, जो कि समस्त अर्हता मानदंडों को पूर्ण करती है, ने समय सीमा से पहले अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उसके आवेदन की समीक्षा के बाद, आरपीएससी ने लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया।

2.7 याचिकाकर्ता ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। परिणाम के बाद, आरपीएससी ने 20.05.2014 को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को 26.05.2014 तक अपनी

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जो उसने प्रस्तुत किए।

2.8 याचिकाकर्ता को आश्चर्य हुआ जब 11.06.2014 को आरपीएससी ने उसे सूचित किया कि अपर्याप्त अनुभव के कारण उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि मदरसा शिक्षा सहयोगी के रूप में उसका अनुभव मान्य नहीं था।

2.9 आरपीएससी द्वारा याचिकाकर्ता के अनुभव को अस्वीकार करने का कारण अनुचित है। मदरसा शिक्षा सहयोगी की भूमिका शिक्षण से संबंधित है, लिपिकीय कार्य से नहीं, और उसे प्रासंगिक अनुभव माना जाना चाहिए। 1970 के नियम केवल किसी भी विद्यालय में केवल पाँच वर्ष के शिक्षण अनुभव को आवश्यक करते है, जिसमें सरकारी अथवा निजी संस्थानों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मदरसे में अनुभव वैध शिक्षण अनुभव के रूप में अर्हित होता है। इसके अलावा, जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी इसकी पुष्टि करता है। इसलिए, आरपीएससी द्वारा याचिकाकर्ता के अनुभव को अस्वीकार करना निराधार है, और उसकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जानी चाहिए थी। इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

3. याचिका का विरोध करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 - शिक्षा विभाग की ओर से जवाबदावा दाखिल किया गया है, जिसमें निम्नलिखित रुख अपनाया गया है:-

3.1 आरपीएससी, अजमेर ने शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या दिनांक 17.02.2012 (अनुलग्नक 2) जारी किया। याचिकाकर्ता ने भी हेड मास्टर के पद के लिए आवेदन किया था; हालांकि, भर्ती प्राधिकारी, यानी आरपीएससी (प्रतिवादी संख्या 2) ने इस आधार पर उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया कि उसके पास पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं है। आरपीएससी ने परीक्षा आयोजित की थी और यह निर्धारित किया था कि याचिकाकर्ता अपर्याप्त शिक्षण अनुभव के कारण प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं थी, जैसा कि 11.06.2014 (अनुलग्नक 6) के पत्र में कहा गया है। याचिकाकर्ता एक मदरसे में कार्यरत थी, और भले ही अयोग्य उम्मीदवार परीक्षा में

उपस्थित हुए हों, ऐसे उम्मीदवार किसी भी लाभ या नियुक्ति के हकदार नहीं हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता नियुक्ति की हकदार नहीं है, क्योंकि वह अपेक्षित अनुभव की कमी के कारण प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य थी। संपूर्ण चयन प्रक्रिया आरपीएससी द्वारा की गई थी, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया, परिणाम, कटऑफ अंक आदि के संबंध में कोई भी विस्तृत उत्तर आरपीएससी (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा ही दिया जा सकता है। रिट याचिका के सभी आधारों को अस्वीकार किया जाता है, और याचिकाकर्ता के पास अपने पक्ष में कोई वैध आधार नहीं है, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा दिए गए उत्तर से स्पष्ट है। आरपीएससी ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को विधिसम्मत रूप से निरस्त किया। रिट याचिका की प्रार्थनाएँ अस्वीकार की जाती हैं, और याचिकाकर्ता इस रिट याचिका में किसी भी राहत की हकदार नहीं है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना तथा प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया।

5. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय विवाद का सारांश और सार यह है कि क्या याचिकाकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है अथवा नहीं?

6. प्रश्न का उत्तर देने से पहले, प्रारम्भ में ही, मैं यह कहने को विवश हूँ हूँ कि इसका उत्तर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर जवाबदावा के पैरा संख्या 3 में निहित है, जो कि उपयुक्त होने के कारण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"3.* आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में याचिकाकर्ता बैठने के योग्य नहीं थी क्योंकि उसके पास आरपीएससी के पत्र दिनांक *11.06.2014 (अनु.-6)* के अनुसार अपेक्षित शिक्षण अनुभव नहीं था। याचिकाकर्ता एक मदरसे में पदस्थापित थी। यदि कोई अयोग्य अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होता है, तो भी वह अभ्यर्थी किसी भी लाभ का हकदार नहीं है और उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसलिए, याचिकाकर्ता नियुक्ति पाने की हकदार नहीं है क्योंकि वह अपेक्षित अनुभव के अभाव में उक्त प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य थी।"

7. इस संबंध में, कोई अतिरिक्त हलफनामा और/या प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है, तथा लिया गया उपरोक्त रुख इस प्रकार निर्विवाद बना हुआ है।

8. मैं न केवल ऊपर दिए गए पक्ष से सहमत हूं, अपितु अन्यथा भी यह प्रकट होता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले 10 वर्षों में संधारित चयन अभिलेखों की अनुपस्थिति में, इस स्तर पर याचिकाकर्ता का यह दावा कि लिखित परीक्षा में, उसने अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए का पता लगाना संभव नहीं है।

9. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता की समस्या यह भी बढ़ जाती है कि याचिका दायर करते समय उसकी उम्र 35 वर्ष थी, और मुकदमेबाजी की अनिश्चितताओं को देखते हुए, कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो अपरिवर्तनीय हो जाती है। वर्तमान मामले में, चूँकि याचिकाकर्ता की आयु अब 45 वर्ष से अधिक है और चयन के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक है, इसलिए केवल इसी आधार पर उसके दावे पर विलम्ब से विचार नहीं किया जा सकता।

10. अन्त में, मैं यह भी शीघ्रता सेजोडना चाहूँगा कि रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता हेतु उस श्रेणी में कोई भी पद आरक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार की अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी जिसके लिए उसने आवेदन किया था। इसलिए, आज उस विज्ञापन के अनुसार कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है जिसके लिए याचिकाकर्ता ने प्रतिस्पर्धा की थी।

11. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करने के लिए, जिस श्रेणी में याचिकाकर्ता ने प्रतिस्पर्धा की थी, उसमें अंतिम चयनित अभ्यर्थी को उसके लिए जगह बनानी होगी। इस अभ्यर्थी को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पक्षकार नहीं बनाया गया था, और किसी भी स्थिति में, इस स्तर पर न्यायसंगतता अंतिम चयनित अभ्यर्थी के पक्ष में है, जो नियुक्ति की तिथि से लगभग एक दशक से सेवारत है।

12. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

13. खारिज किया जाता है ।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** जे

80-सुमित/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate